

प्रपत्र-4

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भू-सतह उपयोग हेतु वन भूमि के लिये राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की धारा-2 अंतर्गत मंजूरी/स्वीकृति लेने का प्रारूप

-----*

01	परियोजना का ब्यौरा		
	i	उन प्रस्ताव तथा परियोजना स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वन भूमि अपेक्षित है।	दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा
	ii	आपेक्षित वन क्षेत्र निकटवर्ती वन की सीमा को दर्शन वाला मानचित्र तथा विभिन्न प्रायोजनों के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना है, उप वन संरक्षक रैंक से नीचे न हो।	मानचित्र संलग्न है।
	iii	परियोजना की कुल लागत	5271.97 लाख
	iv	परियोजना का वन क्षेत्र में लगने का औचित्य तथा इस क्षेत्र के लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई उनको देखते हुये और उनको नामंजूर करने का कारण बतायें।	जिले में दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा के लिए अन्य स्थान में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रस्तावित वनभूमि को चयन किया गया।
	v	वित्तीय और सामाजिक लाभ	अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओं का शिक्षा, नैतिक शिक्षा, बौद्धिक विकास एवं प्रशिक्षण की स्तर में समुचित विकास होगा जिसके कारण रोजगार का अवसर उपलब्ध होंगे। फलस्वरूप अनुसूचित जनजाति वर्ग में वित्तीय प्रगति होगा।
	vi	कुल लाभान्वित आबादी	सम्पूर्ण कोरबा जिला।
	vii	सृजित रोजगार	200 लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे।
2	परियोजना का स्थल		
	i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	राज्य छत्तीसगढ़
	ii	जिला	कोरबा
	iii	वनमण्डल	कटघोरा
	iv	कम्पार्टमेन्ट राजस्व वनभूमि/वनभूमि छोटे-बड़े झाड़ के जंगल	P.533 वनभूमि
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा-		संलग्न है।

4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा		
	i	वन का वैधानिक स्थित नाम आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत।	संरक्षित वनभूमि
	ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जाति और प्रजाति का ब्यौरा।	शिशु, खम्हार, आम, करंज, कदम, पीपल, परसा
	iii	वनस्पति की सघनता	0.1
	iv	वृक्षों की प्रजातियों तथा व्यास श्रेणीवार सार	संलग्न है।
	v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गम्भीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है या नहीं	नहीं।
	vi	क्या यह राष्ट्रीय वन उद्यान वनजीव अभ्यारण्य, प्रकोष्ठ आरक्षित, प्रकोष्ठ आरक्षित जीव मण्डल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा है यदि हाँ तो उसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें	नहीं।
	vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना के लिए संरक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा	दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा
	viii	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ संकटापन जातियों व प्राणी जगत की प्रजातियों	नहीं।
	ix	क्या प्रवासी जन्तुओं के लिए एक पार्क स्थल है या उसके लिए प्रभाग भूमि भाग है	नहीं।
	x	प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	नहीं।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा		
	i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
	ii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की संख्या	निरंक
	iii	विस्तृत पुनर्वास योजना	निरंक
6	क्षतिपूरक पुनर्वास योजना		
	i	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए शिनाख्त किये गये गैर वन क्षेत्र अभिनिर्दिष्ट वन क्षेत्र का ब्यौरा निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी हिस्सों की संख्या, प्रत्येक हिस्से का आकार	वनक्षेत्र है।
	ii	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए शिनाख्त गैर वन/अतिक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र	CA हेतु वनभूमि परिक्षेत्र कटघोरा के ग्राम झाबर कक्ष क. OA776 का मानचित्र संलग्न है।
	iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों, कार्यान्वयन एजेंसी, समय, सूची, लागत, ढाँचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वन रोपण	10 वर्षीय योजना संलग्न है।

	iv	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	
	v	वन रोपण के लिए क्षतिपूरक वन रोपण हेतु शिनाख्त किये गये क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र	संलग्न है।
	vi	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए वनोत्तर भूमि ना होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	कलेक्टर कोरबा का वनोत्तर भूमि नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
7		परिपत्र लाईन के बारे में ब्यौरा (केवल परिपत्र लाईन के लिए)	
8		सिंचाई / जल विद्युत परियोजना हेतु (केवल सिंचाई/जल परियोजना प्रस्ताव के लिए)	—
9		सड़क/रेल लाईन के बारे में ब्यौरा — (केवल रेल एवं रोड़ प्रस्तावों के लिए)	—
10		खननप्रस्ताव के बारे में ब्यौरा (केवल खनन प्रस्ताव हेतु)	—
	i	कुल खनि पट्टा क्षेत्र और आपेक्षित वन क्षेत्र	—
	ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	—
	iii	वन क्षेत्र और गैर वन क्षेत्र में प्रत्येक खनिज कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	—
	iv	खनिज /कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	—
	v	खनन कार्य का किस्म, खुली खदान/भूमि गत	—
	vi	चरणबद्ध सुधार योजना	—
	vii	किस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका दलान	—
	viii	पट्टा संलग्न की प्रति संलग्न किया जाये केवल नवीनीकरण	—
	ix	नियुक्ति किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या	—
	x	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल	—
	क	खनन	—
	ख	खनित कच्चे धातु भण्डार	—
	ग	अधिभार का जमा करना	—
	घ	औजारों और मशीनों का भण्डार	—
	ड	भवनों बिजली घरों कार्याशालाओं आदि का निर्माण	—
	च	शहर/ आवास कालोनियों का भण्डार	—
	छ	शहर/ राजमार्ग/ रेल्वे लाईन का निर्माण	—

	ज	अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि का सदुपयोग योजना	—
	xi	परियोजना के संपूर्ण ऊपर क से ज तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिए वन भूमि मांग की गयी है उनकी वन क्षेत्र के बाहर शुरू सिमित व पिक जाने के क्या कारण है ?	—
	xii	खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होनी वाली सम्मिलित क्षति और प्रमाणित होने वाले वृक्षों की संख्या	—
	xiii	बरहमासी नदियों, मार्गों, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण और जीव मंडल से रिजर्वों से खनन क्षेत्र की दूरी	—
	xiv	पुनः प्रयोग के लिए उपरी मृदा के भंडारण की प्रक्रिया	—
	xv	भूमि का खनन कार्यों में अपेक्षित अवतल की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	
11		लागत लाभ विश्लेषण	
12		क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है हों/ नहीं यदि हां तो क्या उसके लिए अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया गए है हों/ नहीं	नहीं
13		क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है, हों/ नहीं यदि हां तो	नहीं
	i	शुरू होने के तारीख सहित उसके ब्योरे	
	ii	अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी	निरंक
	iii	गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ की गयी/ जा रही कार्यवाही	नहीं
	iv	क्या सभी भी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है।	—
14		कोई अन्य सूचना	—
15		संलग्न किये गए प्रमाण पत्रों दस्तावेजों का ब्यौरा	—
16		निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात्—	—
	i	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादन	—
	ii	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति पर आत्मनिर्भर है	—
	iii	परियोजना के कारण निम्न व्यवस्थाओं पर असर	—

	(a)	ग्रामीण आबादी के लिए जलाने की लकड़ी की अर्थव्यवस्था और जीविका पर	—
	(b)	आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका पर	—
	iv	कारण सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिए मुख्य वन संरक्षक/ वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिश	—

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उद्देश्य के लिए सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित उद्देश्य के लिए वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा


(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा